न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वित्तीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. : 11/2026
जीसीएमएस नम्बर : 2026/20

प्रार्थीगण :–

1. धन्नाराम पुत्र गोरधनराम जाति माली निवासी ग्राम पीपलिया बेरा, बड़ली, तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. बिरमाराम पुत्र राणाराम
2. रूघाराम पुत्र राणाराम जाति माली निवासी ग्राम पीपलिया बेरा, बंड़ली, तहसील व जिला जोधपुर
3. तहसीलदार, जोधपुर

उपस्थिति :–

1. श्री जेठाराम सैन प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री चेतनकुमार काला अप्रार्थी अधिवक्ता

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 18.10.2021 प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर क्रमांक/भू.अ./बंटवाड़ा 2021/02 के द्वारा पारित।

— : : आदेश : : — दिनांक : 01/5/26

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की गांव बड़ली, पटवार हल्का बागां, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 429 व 429/2 रकबा 37.04 बीघा भूमि आई हुई है। पूर्व में यह भूमि मूल खसरा 429 रकबा 37.04 बीघा राणाराम, धन्नाराम पिता गोरधनराम के नाम दर्ज थी, प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के कैम्प दिनांक 18.10.2021 को अपीलांट व अपीलांट के स्व. बड़े भाई राणाराम द्वारा आपसी सहमति विभाजन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें मौके अनुसार बंटवाड़ा करना था, लेकिन बंटवाड़ा मौंके अनुसार नही हुआ व आदेश पारित हो गया व अपीलांट के बड़े भाई राणाराम का देहावसान भी हो गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान में हुआ उक्त बंटवाड़ें को अपीलांट खारिज करवाना चाहते है। ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 429 व 429/2 के अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सह खातेदार है। चूंकि पुराने समय वक्त बंटवाड़ा [illegible] खसरा संख्या 429 की तरमीम सही नही हो पायी थी, जो मौंके अनुसार सही नही हुई थी खसरा संख्या 429 का एकीकरण कर पुनः अपीलांट बंटवाड़ा करना चाहता है,

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

जो न्यायोचित है। न्यायहित में अपीलांट यह चाहता है कि मौके की स्थिति अनुसार नये सिरे से बंटवाड़ा हो व पूर्व में प्रशासन गांवो संग के अभियान में हुवे बंटवाड़े में रही कमीयों को देखते हुवे उक्त बंटवाड़े को खारिज किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार कैम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पिता द्वारा बंटवाड़ा मौके की स्थिति को देखते हुवे सही नही हो सका, जिसमें कानूनी भूल रही है जिसमें अपीलांट का यह पूर्व में किया गया प्रशासन गांवो के संग अभियान में बंटवाड़ा न्यायोचित नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 को अवगत कराने पर रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने यह स्वीकार किया की कानूनी मौके अनुसार बंटवाड़ा सही नही है बंटवाड़े को पुनः नये सिरे से वर्तमान में पुनः बंटवाड़ा किया जाये तो हमें कोई उज्र–ऐतराज नही रहेगा। अपीलांट व रेस्पोडेंट पूर्व में हुआ प्रशासन गांवो के संग अभियान में बंटवाड़ा को निरस्त करवाना चाहते है। दोनों पक्षकारों को आपसी किसी प्रकार का उजर एतराज नही है न भविष्य में रहेगा। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट न्यायालय में शपथ पत्र पेश करने को तैयार है। अपील के अंत में अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 18.10.2021 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कार्यालय जोधपुर (भू.अ.) जोधपुर क्रमांक/भू.अ./बंटवाड़ा 2021/02 के द्वारा पारित बंटवाड़ा को निरस्त किये जाने का आदेश करने का निवेदन किया। अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपील को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामिल प्राप्त हुई। प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रत्यर्थीण 01 व 02 के अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 18.10.2021 प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2027 कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर दृ क्रमांक/भू.अ./बंटवाड़ा 2021/02 के विरूद्ध की गयी है। जिसमें गाँव बड़ली, पटवार हल्का बागां, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 429 व 429/2 रकबा 37.04 बीघा भूमि आई हुई है। पूर्व में यह भूमि मूल खसरा 429 रकबा 37.04 बीघा राणाराम, धन्नाराम पिता गोरधनराम के नाम दर्ज थी, प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में कैम्प दिनांक 18.10.2021 का अपीलांट व अपीलांट के स्व. बडे भाई राणाराम द्वारा आपसी सहमति विभाजन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें मौके अनुसार बंटवाडा करना था, लेकिन बंटवाड़ा मौके अनुसार नहीं हुआ व आदेश पारित हो गया व अपीलांट के बडे भाई राणाराम का देहावसान भी हो गया। प्रशासन गाँवों के संग

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अभियान में हुआ उक्त बंटवाड़े को अपीलांट खारिज करवाना चाहते है। जिसके अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट संख्या 0 व 02 के स्व. पिताजी द्वारा बंटवाड़े की सहमति प्रदान की गयी थी। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पोडेन्ट्स के पिताजी व अपीलांट की सहमति के हुआ बंटवाड़ा मौका अनुसार नहीं हुआ था। इस कारण हम रेस्पोडेन्ट को खारिज करवाना चाहते है। उक्त बंटवाड़ा खारिज होता है, तो हम रेस्पोडेन्ट संख्या 0। व 02 को किसी प्रकार उजर–ऐतराज नहीं है। यह है कि उक्त अपील का निस्तारण जरिये राजीनामा किया जावें व उक्त बंटवाड़ा को खारिज/निरस्त किया जावे। उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 0। व 02 को किसी प्रकार उजर–ऐतराज नहीं है। उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 0। व 02 को बंटवाड़े के खारिज करवाने में सहमत है, क्योंकि बंटवाड़ा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के मौके अनुसार नहीं हो रखा है। दोनों पक्षकारों को किसी प्रकार कोई उजर–ऐतराज नहीं है। आपसी सहमति खसरा एकीकरण बाबत सहमति पत्र भी रेस्पोडेन्ट संख्या 0। व 02 व अपीलांट जवाब के साथ प्रस्तुत कर रहे है। जवाब प्रार्थना पत्र के अंत में ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 429 व 429/2 व 429 में पूर्व में हुवे राजस्व कैम्प के बंटवाड़े में पारित आदेश 18.10.2021 को निरस्त फरमा कर अपील का निस्तारण किया जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षकारान के तर्को के समर्थन में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का निस्तारण करने से पूर्व धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अवगत कराये गये कारण सद्भाविक होने से उक्त धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत अपील में दोनो पक्षों द्वारा तहसीलदार जोधपुर पारित आदेश दिनांक 18.10.2021 को आपसी सहमति से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2021 निरस्त किया जाता है।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 01/5/26 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर